परमार्थिक संस्थाओं से संबंधित लेखा, अंकेक्षण व आयकर प्रावधान

I. लेखाकर्म **Accounting :**

1. प्रस्तावनाः

किसी भी संस्था के आय–व्यय का व्यवस्थित लेखा जोखा रखने, संस्था द्वारा किसी से क्या लेना है, क्या देना है, कितना पैसा बैंक में रखा गया है, कितना रूपया हाथ में रोकड़ शेष है, इस प्रकार कि समस्त जानकारी को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित किये जाने को लेखा कर्म अर्थात अकाउन्टींग कहते हैं ।

लेखा कर्म एक प्रकार की कला है जिसके द्वारा हम किसी भी संस्था की गतिविधियों का मुल्यांकन मुद्रा मूल्य के रूप में कर सकते हैं तथा उसकी आर्थिक स्थिति को भलिभांति समझा जा सकता हैं ।

किसी भी संस्था के लिये अपने आय व्यय, नफा/नुकसान का लेखा जोखा रखना संस्था के लिये तो आवश्यक है ही साथ ही बाहरी व्यक्तियों, जिनसे संस्था आर्थिक सहायता की अपेक्षा रखती है सरकार अर्थात रेगुलेटरी बॉड़ी आदि को वार्षिक जानकारी देने इत्यादि के लिये भी आवश्यक है ।

किसी भी संस्था का लेखा जोखा भिन्न–भिन्न प्रकार से रखा जा सकता है जिनमें से दो पद्धतियॉ सर्वाधिक चलन में पाई जाती है पहली नकद पद्धति एवं दूसरी अर्जित पद्धति ।

नकद पद्धति में पेसे के प्राप्त होने एवं भुगतान होने की जानकारी रखी जाती है एवं इसमें यदि किसी को किसी वस्तु/सेवा हेतु बाकी देना हो या लेना हो उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है अतः यह पद्धति बहुत कम उपयोग में लाई जाती है तथा वहॉ उपयोगी है जहॉ किसी को हिसाब नहीं देना है । इस पद्धति में सिर्फ प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही बनाया जाता है ।

इसके विपरित अर्जित पद्धति एक साईंटिफिक पद्धति है जिसमें दोहरी लेखा पद्धति के अनुसार लेखे रखे जाते है । इस पद्धति में आय व्यय पत्रक के साथ ही स्थिति विवरण पत्रक Balance Sheet भी बनाई जाती है जिसमें संस्था का वार्षिक लाभ Surplus अथवा हानि Deficit की

जानकारी के अतिरिक्त वर्षांत में संस्था के कोष, ऋण, जमा, देनदारी, सम्पति, लेनदारी, बैंक में जमा, नकद शेष आदि समस्त प्रकार की जानकारी होती है ।

2. खातों के प्रकारः (Types of Accounts)

व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)	–	व्यक्ति अथवा संस्था के नाम वाले खाते
वास्तविक खाते (Real Accounts)	–	वस्तु विशेष/सम्पत्ति खाते
सामान्य खाते (Nominal Accounts)	–	खर्च, हानि, आय, लाभ खाते

3. दोहरी लेखा पद्धति के नियमः

जैसा कि हमने देखा की खाते मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं अतः उक्त तीन प्रकार के खातों में प्रविष्ठिया Entry करने के भी मुख्यतः तीन नियम होते हैं । ये निम्न प्रकार से हैः–

व्यक्तिगत खाते Personal Accounts	–	प्राप्तकर्ता को नामें तथा देनेवाले को जमा करें (Debit the Receiver and Credit the giver)
वास्तविक खाते Real Accounts	–	जो आया है उसे नामें तथा जो गया है उसे जमा करें (Debit what comes in and Credit what goes out)
सामान्य खाते Nominal Accounts	–	खर्चे एवं हानियों को नामे तथा आय एवं लाभ जमा करें (Debit all expenses & losses and Credit all Incomes & gains)

4. खाता बहियों के प्रकारः

रोकड़ बही Cash Book	–	उन प्रतिष्ठियों के लिये जिनसे नकद शेष में घटत/बढ़त होती है ।
बैंक बही Bank Book	–	उन प्रतिष्ठियों के लिये जिनसे बैंक शेष में घटत/बढ़त होती है।
खाता बही Ledger	–	खतोनी हेतु।
नकल बही Journal	–	उन प्रतिष्ठियों के लिये जिनमे नकद/बैंक शेष में घटत/बढ़त नहीं होती है ।

5. <u>खातों को तैयार करने की समयावधिः</u>
सामान्यतः अप्रेल से मार्च प्रतिवर्ष

प्रविष्ठि हेतु मूल दस्तावेज Source document
धन प्राप्त होने पर – रसीद, चेक काउन्टर, ऋण पत्र आदि ।
वस्तु/सामग्री खरीदने पर – बील/केश मेमो/क्रेडिट मेमो आदि
खर्च भुगतान करने पर – भुगतान व्हाऊचर/बील/केश मेमो आदि ।
राशि भुगतान करने पर – रसीद, Pay-in-slip, व्हाऊचर आदि ।

6. <u>सावधानियॉः</u>

किसी भी प्रकार की प्रविष्ठि लेखा पुस्तकों में करने के पुर्व निम्नलिखित बातें सुनिश्चित कर लेने से सही प्रकार के लेखे रखने में सहायता मिलती है ।

– जिस प्रविष्ठि को किया जा रहा है उससे संबंधित सोर्स डाक्यूमेन्ट्स संस्था के नाम से होना चाहिये ।

– जिस वर्ष/पिरियड में प्रतिष्ठि की जा रही है संबंधित सोर्स डाक्यूमेन्ट्स उस पिरियड का होना चाहिये ।

– सोर्स डाक्यूमेन्टस् के आधार पर नामें/जमा खाते का आकलन सही होना चाहिये।

– व्यय/भुगतान संस्था के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु किया गया होना चाहिये ।

– समस्त व्यय तथा लेन देन जहॉ तक संभव हो क्रास्ड एकाऊन्ट पेई चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये ।

– रू.5000/– एवं अधिक का व्यय/भुगतान होने पर व्हाऊचर पर प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर लिये जाने चाहिये ।

7. सोसायटी को किस प्रकार की लेखा पुस्तके रखी जाना चाहिये–

मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार –

1 सोसायटी को सभी प्रकार कि प्राप्ति एवं भुगतान व्यय की जानकारी रखना आवश्यक है साथ ही प्राप्ति किस बाबद हुई है तथा भुगतान व्यय किस बाबद किया गया है इसकी भी जानकारी सुचारू रूप से रखना आवश्यक है।

2 सोसायटी की सम्पत्ति एवं दायित्वों Assets and Liabilities की जानकारी भी रखना आवश्यक है।

II. आडिट एवं इन्सपेक्शन धारा 28 उप धारा 1 Section 28 1

1. प्रस्तावनाः

सभी संस्थाओं को अंकेक्षित आय व्यय खाता Income & Expenditure A/c. एवं तुलन पत्र Balance Sheet आडिट रिपोर्ट सहित प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक साधारण सभा होने के 90 दिन में अथवा 30 अप्रेल से 90 दिन में नियत फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज को प्रेषित करना है । जहॉ संस्था का वार्षिक लेन देन 1 लाख रूपये से अधिक है वहॉ अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट् के द्वारा किया जायेगा ।

2. अंकेक्षण Audit क्या हैः

अंकेक्षण लेखा पुस्तकों का परिक्षण है जो लेखा पुस्तकों की सत्यता एवं पूर्णता के साथ संव्यवहारों का होना दर्शाता है । इस प्रकार सोसायटी की लेखा पुस्तकों के सही होने एवं सही वित्तिय स्थिति को जानने के लिये उनका निरिक्षण, परिक्षण, तुलना, Source documents से मिलान इत्यादि अंकेक्षण में शामिल है ।

3. लेखा एवं अंकेक्षण के उद्धेश्यः

सोसायटी के पास कोष एवं सम्पत्ति भी होती है । कोष का उपयोग विभिन्न कार्यों में सोसायटी के उद्धेश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है ।

अतः सोसायटी के लेखा और अंकेक्षण के निम्न उद्धेश्य दर्शाये जा सकते है–

1 धोखे एवं गलती को रोकना ।
2 गबन व गलत प्रकार के समायोजनों को रोकना ।
3 सोसायटी की सही वित्तीय स्थिति की जानकारी हेतु ।
4 न्यायालय एवं कर अधिकारियों के समक्ष सही रेकार्ड रखना क्योंकि अंकेक्षण लेखा कानून की दृष्टि में ज्यादा विश्वसनीय है ।
5 लेखा पुस्तकों को कानून के अनुसार सही रीति से रखना ।
6 लेखांकन के दौरान पाई गई त्रुटियों में सुधार करना ।
7 संव्यवहारों का अधिकृत होना ।
8 लेखा एवं अंकेक्षण रिपोर्ट को सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना ।

III. आयकरः

अ. प्रस्तावनाः

जैसा कि, हमें सर्वविदित है कि परमार्थिक संस्थाओं का क्रियाकलाप परमार्थिक कार्यों से जुडा हुआ है तथा इस हेतु को प्राप्त करने के उद्धेश्य से आयकर विधान में भी विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए है, जिसके अनुपालन के उपरांत ऐसी संस्थाओं को कर–मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है।

ब. आयकर प्रावधानः

1. आयकर विधान की धारा 2 15 में 'परमार्थिक उद्धेश्य' को परिभाषित किया गया है, तथा इस अनुसार इसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैः–
   - अ गरीबों की सहायता
   - ब शिक्षा
   - स बीमारी में सहायता
   - द पर्यावरण सुरक्षा जिसमें पानी के स्त्रोत, जंगल तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा शामिल है ।
   - य स्मारक या स्थान या चीजे जो कि कलाकृतियों के रूप में है या जिनका ऐतिहासिक महत्व है का संरक्षण, और
   - र आज जनता की सुविधा के उद्धेश्यों का बढावा देना हालांकि आम जनता की सुविधा के उद्धेश्यों का बढावा परमार्थिक

उद्धेश्यों में शामिल नहीं होगा यदि उसके पीछे व्यवसाय करने का हित छुपा हो तथा जिसमें कोई शुल्क या राशि वसूली जाती हो परन्तु ऐसी व्यवसायिक गतिविधियॉ भी मान्य होगी यदि व्यवसायिक गतिविधियों से वार्षिक सकल प्राप्तियॉ रू.25 लाख से कम है।

2. आयकर विधान की धारा 11 के मुताबिक किसी भी ट्रस्ट की आय करमुक्त होगी, यदिः–

अ ट्रस्ट आयकर आयुक्त के पास धारा 12एए में रजिस्टर्ड है।

ब ट्रस्ट की किताबों का अंकेक्षण होता है, यदि दान प्राप्तियॉ रू.2,50,000/– से ज्यादा है ।

स ट्रस्ट की 85 प्रतिशत आय ट्रस्ट के उद्धेश्यों पर खर्च की गई है या की जाना है हालांकि इस आय मे कोरपस या फण्ड में प्राप्त दान शामिल नहीं होते है ।

द ट्रस्ट की आय जो खर्च नहीं हो पाई है तथा कोरपस या फण्ड के दान धारा 11 में वर्णित विनियोगों के तरीकों में ही विनियोजित किए गए है ।

3. आयकर विधान की धारा 12एए में ट्रस्ट की आयकर विभाग में पंजीयन की प्रक्रिया बताई गई है । ट्रस्ट का गठन होने के उपरान्त ही आवेदन किया जा सकता है । इस धारा के मुताबिक फार्म 10ए मे जानकारी प्रस्तुत करना पडती है । इस फार्म के साथ ट्रस्ट के गठन का प्रमाण–पत्र, ट्रस्ट के बायलाज, ट्रस्टियों की जानकारी उनके नाम, पते, पद, कार्य इत्यादि जानकारियॉ प्रस्तुत करनी पड़ती है । यदि किसी कारणवश ट्रस्ट के गठन के ठीक बाद यदि पंजियन के आवेदन मे देरी हो तो बाद मे भी यह आवेदन लगाया जा सकता है । आयकर विभाग के आयुक्त के ऊपर निर्भर करेगा कि वे जॉच पड़ताल करके ट्रस्ट का पंजीयन स्वीकृत करे । यदि किसी कारणवश ट्रस्ट का पंजीयन होने से मना कर दिया जाता है तो उस दशा मे आयकर अपीलीय प्राधिकरण मे अपील की जा सकती है । वैसे पंजीयन के आवेदन करने के उपरान्त आयकर विभाग छः माह मे आदेश पारित कर यह निश्चय करता है कि ट्रस्ट का

पंजीयन किया जाना है या नहीं । परन्तु यदि छः माह के भीतर कोई भी आदेश पारित नहीं होता है, तो यह माना जाता है की ट्रस्ट का पंजीयन हो चुका है । एक बार इस धारा मे ट्रस्ट का पंजीयन होने के बाद आयकर आयुक्त का यह अधिकार है कि वह ट्रस्ट का पंजीयन निम्न दशाओं में निरस्त भी कर सकता है धारा 13 के मुताबिक

अ संपत्ति की सम्पूर्ण आय किसी निजी धार्मिक प्रयोजन जो कि लोक हितार्थ को बढावा देने के लिए नहीं है, उस पर खर्च की जाती है।

ब सम्पूर्ण आय एक धर्म या सम्प्रदाय के हितार्थ खर्च की जाती है।

स विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के हितार्थ सम्पूर्ण आय या उसका कोई भाग भी यदि खर्च किया जाता है ।

धारा 13 में निम्न व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट किया गया हैः–

(i) ट्रस्ट के गठन का नायक ।
(ii) पिछले वित्तीय वर्ष मे पचास हजार रूपये या इससे ज्यादा का सहयोग करने वाला ।
(iii) उपरोक्त (i) या (ii) यदि संयुक्त हिन्दु परिवार है तो उसका कोई भी सदस्य ।
(iv) ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी या मेनेजर ।
(v) उपरोक्त दर्शाये व्यक्तियो के सगे–संबंधी ।
(vi) कोई भी ऐसी संस्था जिसमे उपरोक्त कोई भी सदस्य मुख्य हित रखता हो ।

द धारा 11 मे विनिर्दिष्ट तरीकों मे आय या कोरपस/फण्ड का विनियोजन नहीं किया जाता है ।

4. आयकर विधान की धारा 11 के अनुसार ट्रस्ट के कोरपस या फण्ड का विनियोजन निम्नलिखित तरिकों मे हो सकता हैः–

(i) सरकारी बचत प्रमाण पत्र।
(ii) पोस्ट आफिस बचत खाता ।
(iii) अनुसुचित बैंक या सहकारी समिति जो कि बैंकिग व्यवसाय मे रत है, उनके पास जमा ।
(iv) युनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के युनिट्स ।
(v) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभुतियाँ।
(vi) कम्पनी या निगम द्वारा जारी ऋण पत्र जिसके मुलधन तथा ब्याज की ग्यारन्टी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने दी हुई हो ।
(vii) जनसमुदाय पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों मे जमा ।
(viii) ऐसे वित्तीय निगम जो कि लम्बे समय के लिए औद्योगिक विकास के लिए ऋण देते हो, उनके बाण्डस ।
(ix) ऐसी पब्लिक कम्पनियाँ जिनका मुख्य उद्धेश्य रहने के मकानो के खरीदने या बनाने के लिए ऋण व्यवसाय हो, उनके बाण्ड्स ।
(x) ऐसी पब्लिक कम्पनियाँ जिनका मुख्य उद्धेश्य शहरी सरंचना के लम्बे समय के लिए ऋण देने का हो, उनके बाण्ड्स ।
(xi) अचल संमपत्तियॉ जिसमे मशीनरी या प्लान्ट शामिल नही है ।
(xii) ओद्योगिक विकास बैंक के पास जमा ।

उपरोक्त के अलावा भी आयकर नियम 17सी मे भी कुछ अन्य विनियोगों के तरीके बताए गए है, जो कि निम्नानुसार हैः–

अ आयकर विधान की धारा 10 23डी मे बताए गए म्यूचल फण्ड के युनिट्स इस धारा मे सेबी के पास पंजिकृत म्यूचल फण्ड या अन्य अनुमोदित म्यूचल फण्ड है ।
ब सरकार के पब्लिक अकाउन्ट मे अतंरण ।

स ऐसी अथोरीटी जिसका काम रहने के मकानों या शहर, गॉव, कस्बे के विकास करने का कार्य हो, उनके पास जमा ।

द डिपाजिटरीज के समता अंश ।

र नेशनल स्किल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अंश।

5. यदि परमार्थिक संस्था द्वारा कोई भी अन्य परमार्थिक संस्था जो कि आयकर मे पंजिकृत हो, उसको दी गई राशी भी ट्रस्ट के उद्धेश्यो पर खर्च मानी जाती है। इसी प्रकार यदि ट्रस्ट प्रधानमंत्री राहतकोष या अन्य सरकारी राहतकोषों मे भी यदि दान की राशी देते हैं, तो वह भी ट्रस्ट के उद्धेश्यो के लिए खर्च मानी जावेगी ।

6. ट्रस्ट को यदि अंकेक्षण करवाना है, तो उसे किसी प्रेक्टिसरत् चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट् से आडिट करवाना पडता है तथा फार्म 10बी मे रिपोर्ट हासिल करनी पड़ती है । इस रिपोर्ट मे उपरोक्त धारा 11 मे विनिर्दिष्ट विनियोगो तथा ट्रस्ट द्वारा उसके उद्धेश्यो पर खर्च की जा रही राशियो का खुलासा होता है ।

7. आयकर की धारा 139 के तहत ऐसे ट्रस्ट जो कि आयकर की मुक्ति चाहते है, उन्हे इलेक्ट्रानिक माध्यम से आयकर विवरणी Income Tax Return दाखिल करनी पड़ती है । वर्तमान मे विवरणी फार्म संख्या सात 7 में भरनी होती है तथा उपरोक्त आडिट रिपोर्ट भी इलेक्ट्रानिक माध्यम से दाखिल करना होती है । ट्रस्ट की विवरणी दाखिल करने का समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह, अर्थात 30 सितम्बर तक रहता है ।

8. धारा 11 के अनुसार ट्रस्ट को अपना पंजियन जारी रखने के वास्ते यह जरूरी है कि ट्रस्ट अपने उद्धेश्यो पर आय का कम से कम 85 प्रतिशत खर्च करे । यदि किसी कारणवश उपरोक्त 85 प्रतिशत की सीमा पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो अन्तर की राशी अगले पॉच वर्षो मे भी खर्च की जा सकती है, किन्तु इसके लिए यह जरूरी होगा की ट्रस्ट आयकर विभाग को आयकर विवरणी दाखित करने की तिथि 30 सितम्बर तक फार्म 10 मे जानकारी दे । यहॉ यह जरूरी होगा कि ट्रस्ट बचे हुए हिस्से को उपरोक्त बताए अनुसार धारा 11 मे विनिर्दिष्ट विनियोगो मे ही विनियोग कर सकता है ।

9. यदि ट्रस्ट को विशेष निर्देशो के तहत स्वेच्छिक राशि जो कि ट्रस्ट के कार्पस फण्ड के वास्ते प्राप्त हुई हो, तो वह पूर्ण रूप से आयकर से मुक्त रहेगी तथा उसके लिए यह भी जरूरी नही होगा कि उसकी 85 प्रतिशत राशी खर्च की जावे।

10. यदि किसी ट्रस्ट को गुप्तदान मिले है, तो आयकर की धारा 115बीबीसी के तहत अधिकतम दर से करारोपण होगा परन्तु यदि किसी मन्दिर, मस्जिद, द्वारा ऐसी राशी प्राप्त की जा रही है तो उस पर इस धारा के तहत कर नही लगते हुए, पहले बताए गए अनुसार ही कर–छूट मिलेगी।

11. आयकर की धारा 10 23सी के तहत शैक्षणिक संस्थान या पारमार्थिक चिकित्सालयों जिनका सालाना कारोबार रूपये एक करोड से कम है, उनको आयकर विधान मे सीधे रूप से छुट है तथा उन्हें उपरोक्त धारा 11 से 13 के प्रावधान लागु नहीं होंगे। धारा 10 23सी के तहत भी धारा 11 से 13 में उल्लेखित विनियोगों के तरीके, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों इत्यादि के प्रावधान भी समान है परंतु ट्रस्ट को आयकर विभाग के पास पृथक रूप से पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं पडती है । हालांकि ट्रस्ट चाहे तो धारा 10 23सी की छूट नहीं लेते हुए धारा 11 से 13 के प्रावधानों का पालन कर सकते हैं ।

12. यदि ट्रस्ट द्वारा कोई सपत्तियॉ बेची जाती है तो उस पर प्राप्त लाभ भी ट्रस्ट के उद्धेश्यो मे ही खर्च माना जावेगा यदि संपत्तियो के बेचने पर प्राप्त राशि नई संपत्तियो के खरीदने मे लगा दी गई हो।

13. अभी तक उपरोक्त विवरण ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों तथा उसकी संपत्ति तथा आमद से संबंधित थे, परन्तु यदि कोई दानदाता जो कि आयकर मे अनुमोदित ट्रस्ट को कोई राशी दान में देता है तो उसे भी आयकर की धारा 80जी मे दिये गये दान की पचास प्रतिशत छुट अपनी आय मे से मिल सकती है । यह छुट तभी संभव है, जब की ऐसे ट्रस्ट ने आयकर विधान की धारा 80जी मे छुट होने की पात्रता ग्रहण की हो । इस पात्रता को ग्रहण करने के लिए ट्रस्ट को आयकर विभाग मे फार्म 10जी मे आवेदन करना पडता है तथा अपने उद्धेश्यों के बारे मे स्पष्टीकरण देना होता है । एक ट्रस्ट

की दशा मे ट्रस्ट के गठन का प्रमाणपत्र, ट्रस्ट के बायलाज ट्रसटियों की जानकारी नाम, पते, पद, कार्य इत्यादि जानकारियॉ देनी होती है । आयकर विभाग विस्तृत जॉच पडताल करने के उपरान्त ऐसे ट्रस्ट को धारा 80जी मे पात्रता प्रदान करता है । धारा 80जी के तहत यदि एक बार ट्रस्ट पात्रता प्राप्त कर लेता है तो यह पात्रता हमेशा के लिए बनी रहती है तथा दान – दाता यह छुट प्राप्त करता रहता है । वर्तमान मे ट्रस्ट के धारा 80जी के तहत नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं है । यहॉ उल्लेखनीय होगा कि धारा 80जी के तहत छुट प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि दान राशी यदि रूपये दस हजार से ज्यादा है तो वह चैक/ड्राफ्ट/या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही दी जावे ।

आयकर विभाग को यह भी अधिकार है कि यदि ट्रस्ट अपने उद्धेश्यो से भटक गया है या अपनी आय की दर्शाई गयी सीमा के अनुसार परमार्थिक उद्धेश्यों पर खर्च नहीं कर रहा है या अपने फण्ड का उपयोग धारा 11 मे दर्शाए गए तरीको में विनियोजित नहीं कर रहा है तो ऐसे ट्रस्टों की धारा 80जी की पात्रता भी समाप्त कर सकता है ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय होगा कि ट्रस्ट को यदि आयकर विधान मे कर छुट प्राप्त करना है तो उसे यह जरूरी है कि ट्रस्टियों या बाहरी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के ऋण नहीं देवे । इसका सीधा कारण यही है कि यदि ट्रस्ट को छुट प्राप्त करना है तो उसे धारा 11 मे विनिर्दिष्ट तरिकों मे ही अपने फण्ड का विनियोजन करना होता है ।

15. ट्रस्ट के समापन की दशा मे यह जरूरी होगा कि ट्रस्ट फण्ड का किसी अन्य परमार्थिक ट्रस्ट मे राशी अन्तरित कर दी जावे, कारण कि ट्रस्ट फण्ड का उपयोग ट्रस्टी अपने हितार्थ नहीं कर सकते हैं।

16. आयकर मे पंजिकृत कोई भी ट्रस्ट अपने सदस्यों या ट्रस्टियों को भी लाभांश वितरण नहीं कर सकता है । ट्रस्ट अपने ट्रस्टियों को वेतन का भुगतान कर सकते है बशर्ते ट्रस्टी अपना समय तथा श्रम ट्रस्ट के कार्यो मे लगाते हो परन्तु यह वेतन उचित होना चाहिए अन्यथा इसे ट्रस्ट फण्ड का दुरूपयोग माना जावेगा तथा ट्रस्ट का आयकर विधान मे पंजियन भी निरस्त हो सकता है । ट्रस्ट अपने उद्धेश्यों

की पूर्ति के वास्ते स्टाफ/कर्मचारी /मेनेजर की नियुक्ति कर सकता है तथा उनको वेतन/पारिश्रमिक भी दे सकता है । यहॉ यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि ट्रस्ट भले ही ट्रस्टियों या बाहरी व्यक्तियो को ऋण नहीं दे सकता है, परन्तु स्टाफ/कर्मचारी/मेनेजर को सेवा शर्तो के तहत ऋण दे सकता है तथा ऐसे मे ट्रस्ट की आयकर विधान की मान्यता या 80जी की पात्रता पर खतरा नहीं रहेगा ।

17. आयकर विभाग समय–समय पर ट्रस्ट का कर निर्धारण भी करता रहता है तथा उस समय उपरोक्त उल्लेखित बातो पर गोर किया जाता है । साथ ही ट्रस्ट द्वारा रखे गए हिसाब–किताब, रिकार्ड्स की भी जॉच पड़ताल करता है तथा जरूरी हुआ तो ट्रस्टिगणों को बुलाकर उनसे वांछित जानकारियॉ प्राप्त की जा सकती है तथा उनके बयान भी दर्ज किऐ जा सकते है । कर निर्धारण के उपरान्त कर–निर्धारण आदेश पारित किया जाता है । यदि ट्रस्ट उपरोक्त प्रावधानो को पुरा करने मे विफल रहा है तो उसका आयकर की धारा 12एए का पंजीयन भी निरस्त हो सकता है तथा धारा 80जी के तहत मान्यता भी समाप्त हो सकती है । विपरीत कर–निर्धारण आदेश पारित होने पर उसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

18. आयकर के अन्य प्रावधान जैसे कि टी.डी.एस., ऋण–माध्यम इत्यादि के प्रावधान भी ट्रस्ट पर लागू होते है तथा उनका नियमानुसार पालन किया जाना जरूरी है । ट्रस्ट पर शास्तियों के भी प्रावधान लागू होते हैं ।

स. **<u>उपसंहारः</u>**

अंत में यह कहा जा सकता है कि परमार्थिक कार्यों के वास्ते ट्रस्ट अपने उद्धेश्यों को प्राप्त कर सकता है तथा आयकर विधान भी इसमें सहायक होकर कर–मुक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि ट्रस्ट आयकर विधान के दिशा–निर्देशों का पालन करता रहे।

***